

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक

पटना, दिनांक3.0-5-2022

विषय- बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्बर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7095 दिनांक-15.07.2021-सह-शुद्धि पत्र ज्ञापांक-10527 दिनांक-14.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न लिपिकीय संवर्गों के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नवत् प्रावधान किये जाने का निर्णय संसूचित है-

(i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका-(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे।

(iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका—(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका—(i) का प्रावधान ही लागू समझा जायेगा।

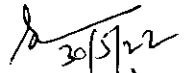
2. उक्त निर्णय के अनुपालन में कतिपय प्रशासी विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवा/संवर्ग नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रारूप विधिक्षा हेतु विद्वान महाधिवक्ता को उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का तात्पर्य यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक बार विधिक्षा कराकर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से प्रासंगिक प्रावधान किये जाने के उपरान्त अब प्रत्येक मामले में विधिक्षा के लिए संबंधित संशोधन नियमावली प्रारूप विद्वान महाधिवक्ता को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. अतः विद्वान महाधिवक्ता के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में निर्णय लिया गया है कि—

“सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—7095 दिनांक—15.07.2021—सहपठित—शुद्धि पत्र ज्ञापांक—10527 दिनांक—14.09.2021 द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले संशोधन नियमावली को अंग्रेजी अनुवाद के साथ संचिका के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त संशोधन नियमावली प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) पर सहमति दी जायेगी। तदनुपरान्त प्रशासी विभाग द्वारा संशोधन नियमावली अधिसूचित की जा सकेगी।”

अनु०:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं० पटना 606) पटना, वृहस्पतिवार, 15 जुलाई 2021

सं० 3/एम० 12/2021-7095/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

15 जुलाई 2021

विषय :- बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्बर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में।

समाहरणालय लिपिकीय सेवा नियमावली सहित विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लिपिकीय सेवाओं की नियमावलियों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संदर्भ में समरूप प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. उक्त विषय के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न लिपिकीय सम्बर्गों के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नवत् प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया जाता है—

- (i) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।
- (ii) यदि किसी प्रशासी विभाग के नियंत्रणाधीन किसी लिपिकीय सेवा/संवर्ग की नियमावली में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी उपर्युक्त उप कंडिका—(i) से भिन्न कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे।
- (iii) संबंधित नियमावली में उपर्युक्त उप कंडिका—(i) के अनुरूप संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रावधान में संशोधन इस संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त उप कंडिका—(i) का प्रावधान ही लागू समझा जायेगा।

3. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश—

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

चंचल कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 606-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 788) पटना, बुधवार, 15 सितम्बर 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि-पत्र

14 सितम्बर 2021

सं० 3/एम0 12/2021-10527/सा0प्र0—सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7095 दिनांक-15.07.2021 द्वारा बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय सम्बर्गों में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत के बन्धेज के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक 7095 दिनांक 15.07.2021 की कंडिका 2(i) में उल्लिखित शब्द समूह "पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष" को "उस कैलेण्डर वर्ष" पढ़ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 788-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>